


## प्रोन्नति के नियम

1. इण्टरमीडिएट स्तर (कक्षा 11 व 12) पर परीक्षार्थी को किसी भी विषय में सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट/आन्तरिक मूल्यांकन भाग (जो भी लागू हो) में प्रत्येक में पृथक-पृथक 33% अंक प्राप्त होने पर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।
  2. कक्षा 11 के जो परीक्षार्थी अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक दोनों परीक्षाओं के योग में दो विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, उनको अधिकतम 08 अंक का कृपांक देकर प्रोन्नत घोषित किया जायेगा। किसी विषय में नियमानुसार कृपांक तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट/आन्तरिक मूल्यांकन (जो भी लागू हो) भागों में प्रत्येक में पृथक-पृथक 25% अंक प्राप्त किये गये हों तथा समस्त विषयों के कुल प्राप्तांकों का योग न्यूनतम 33% हो।
  3. जिन परीक्षार्थियों ने किसी एक परीक्षा (अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक) में सभी विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों परन्तु अस्वरथ होने के कारण किसी एक परीक्षा (अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक) में सम्मिलित न हो सका हो तो उनका परीक्षाफल दी गयी परीक्षा (अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक परीक्षा) के आधार पर घोषित किया जायेगा। ऐसे परीक्षार्थी को राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र या गैर सरकारी चिकित्सक की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें 04 अंक का कृपांक देय होगा।
  4. यदि परीक्षार्थी किसी एक परीक्षा (अर्द्धवार्षिक या वार्षिक) में से किसी एक परीक्षा के सभी विषयों में सम्मिलित हुआ हो किन्तु दूसरी परीक्षा (वार्षिक या अर्द्धवार्षिक) में आंशिक रूप से सम्मिलित हुआ हो तो उसका परीक्षाफल दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित विषयों के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों के आधार पर घोषित किया जायेगा। इस स्थिति में अधिकतम 04 अंकों का कृपांक देय होगा। विद्यार्थी को अनुपस्थित परीक्षाकाल के लिए राजकीय चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र या गैर सरकारी चिकित्सक की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  5. अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के अंकों को मिलाकर यदि परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी को वार्षिक परीक्षा के आधार पर कक्षोन्नति दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण हो तथा उसके वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग न्यूनतम 40 प्रतिशत हो।
  6. कक्षा में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी वही परीक्षार्थी होगा जो अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं में प्रत्येक विषय के सभी भागों यथा सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक अथवा प्रोजेक्ट और/अथवा आन्तरिक मूल्यांकन (जो भी लागू हो) में सम्मिलित हुआ हो तथा जिसके प्रत्येक विषय में प्राप्तांकों का योग 33 प्रतिशत या अधिक हो।
  7. परीक्षा तिथियों में विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम/प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थी का परीक्षाफल सम्पूर्ण रूप से सम्मिलित परीक्षाओं (इकाई परीक्षा, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक) के आधार पर घोषित किया जायेगा।
- इस सन्दर्भ में सम्भावित स्थितियां निम्नवत् हैं—
- (अ) अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न होने पर परीक्षाफल वार्षिक परीक्षा के आधार पर घोषित किया जायेगा।
- (ब) वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित न होने पर परीक्षाफल अर्द्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर घोषित किया जायेगा।
- (स) अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर तथा विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम/प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के कारण यदि परीक्षार्थी वार्षिक परीक्षा में आंशिक या पूर्ण रूप से सम्मिलित न हो सका हो तो ऐसी स्थिति में उन विषयों की परीक्षा सम्बन्धित विद्यालय द्वारा पृथक रूप से ली जायेगी जिनमें कि परीक्षार्थी सम्मिलित न हो सका हो।

जनपद का नाम .....

विद्यालय का नाम .....

सन् 20 — 20



कक्षा — 11 (संस्थागत)

विद्यार्थी का नाम.....

पिता का नाम.....

अनुक्रमांक.....

कक्षा.....

पत्र व्यवहार का पता.....

# प्रगति विवरण पत्र (2022-23)

कक्षा- 11

विद्यालय का नाम-  
विद्यार्थी का नाम-  
STUDENT'S NAME-  
(In Capital Letters)  
अनुक्रमांक-

माता का नाम-  
MOTHER'S NAME-  
(In Capital Letters)  
जन्म तिथि(अंकों में)-  
(शब्दों में)-

छात्र पंजीकरण (S.R.)संख्या-  
पिता का नाम-  
FATHER'S NAME-  
(In Capital Letters)  
बोर्ड पंजीकरण संख्या-

विषय	अर्द्धवार्षिक परीक्षा								वार्षिक परीक्षा								महायोग	कृपांक	
	सैद्धान्तिक		प्रयोगात्मक		आन्तरिक मूल्यांकन/ प्रोजेक्ट		योग		सैद्धान्तिक		प्रयोगात्मक		आन्तरिक मूल्यांकन/ प्रोजेक्ट		योग				
	पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक			
हिन्दी/अंग्रेजी	80				20		100		80				20		100		200		
							100								100		200		
							100								100		200		
							100								100		200		
							100								100		200		
कुल योग							500								500		1000		
परिणाम अर्द्धवार्षिक परीक्षा-- उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण								आन्तरिक मूल्यांकन				ग्रेड वार्षिक				आचरण-- उत्तम/अच्छा/सामान्य			
आचरण-- उत्तम/अच्छा/सामान्य								योग, आर्युवेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा								कक्षा में स्थान--			
हस्ता० कक्षाध्यापक--								पिता/संरक्षक के हस्ता०--								परीक्षा परिणाम--			
हस्ता० जॉचकर्ता--								हस्ता० संस्थाध्यापक--								हस्ता० संस्थाध्यक्ष--			
								हस्ता० कक्षाध्यापक								मुहर--			
																हस्ता० जॉचकर्ता			
नोट-- तारांकित विषयों में छात्र को अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता है।																			